न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डा0 रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 03/2018

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
1–नन्दकिशोर सारस्वत पुत्र नथुलाल जाति ब्राह्मण निवासी गणपत नगर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, तहसील व जिला जोधपुर		1– जिला रसद अधिकारी, (प्रथम) शहर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश, 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.03.2018 जो प्रकरण संख्या 02/17 सरकार बनाम व्यवस्थापक उपभोक्ता सहकारी भण्डार पुराना नम्बर 14/69 नये नम्बर 129/15/01 में जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

– – –

उपस्थिति :– **दिनांक 31.07.2018**

1–श्री करूणानिधि व्यास, ए.आर. मलकानी अधिवक्तागण (अपीलार्थीपक्ष)
2– विभागीय प्रतिनिधि (प्रत्यर्थीपक्ष)

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने दिनांक 22.02.2017 को राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण अखबार में ''**गरीबों का गेहूं कर रहे हजम**'' शीर्षक की खबर के आधार पर अपीलार्थीपक्ष के विरूद्ध दिनांक 28.02.2017 को दर्ज कर नोटिस जारी किया गया तथा उक्त नोटिस का अपीलार्थी के द्वारा बिन्दुवार उचित एवं संतुष्ट पूर्वक जबाब भी प्रदान किया गया था उसके उपरान्त भी अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.03.2017 को निलम्बित कर दिया। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा निलम्बित किये हुए 90 दिन से अधिक समय हो चुका है अतः अब निलम्बित रखना गैर कानूनी है फिर भी प्रत्यर्थीपक्ष ने कोई

लगातार...

Scanned with CamScanner

कार्यवाही नहीं की तथा जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 को जारी करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत हुआ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। प्रत्यर्थीपक्ष का नोटिस पेशी तारीख 07.05.2018 बाद तामील लौटा। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 24.07.2018 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि व्यवस्थापक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जोधपुर के नाम से पुराने नम्बर 14/69, नये नम्बर 129/15/01 प्राधिकार पत्र जारी किया हुआ है तथा उक्त प्राधिकार पत्र के तहत अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण करता था। दिनांक 22.02.2017 को राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण में **''गरीबों का गेहूं कर रहे हजम''** शीर्षक के साथ छपी खबर के आधार पर जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर ने अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी ने जबाब भी पेश किया गया, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.03.2017 को निलम्बित कर दिया। बहस में आगे बतलाया कि जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित किये हुए 90 दिन से अधिक समय हो चुका है तथा विधि में 90 दिन से अधिक समय के पश्चात् निलम्बित रखने का प्रावधान नहीं है। इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थीपक्ष ने नहीं सुना, न प्राधिकार पत्र बहाल किया। बहस में यह भी कहा कि दिनांक 09.05.17 को जबाब पेश किया तथा प्राधिकार पत्र निलम्बित किंये हुए 90 दिन से अधिक समय हो चुका है तथा विधि में 90 दिन से अधिक समय के पश्चात् निलम्बित रखने का प्रावधान नहीं है। बहस में यह भी कहा कि दिनांक 28.08.2017 को प्रवर्तन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की तथा उसके पश्चात् प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश पारित कर दिया गया।

अपनी बहस में राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपने एक आदेश कमांक एफ 13(49)खा.वि./आवंटन/2015–11, दिनांक 19.07.2016 को जारी करते हुए कहा गया कि राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक एफ 13(49) खा.वि./आवंटन/2015–11, दिनांक 30.06..2016 की निरन्तरता में निर्देशित करते हुए यह कहा गया था कि विभाग की एन.एफ.एस. ए. पात्रता की इलेक्ट्रोनिक सूची ही अधिकृत सूची है अतः उचित मूल्य दूकानदारों द्वारा किसी भी अन्य सूची अथवा रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाय अतः अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना भी कर ली थी अतः राजस्थान

लगातार....

Scanned with CamScanner

सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 13(49)खा.वि./आवंटन/2015–11, दिनांक 24.03.2017 मे निर्देशित किया गया कि दिनांक 30.06.16, 19.07.16 व 05.08.16 को जो प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश थे, उसमें आंशिक संशोधन किया गया तथा इन सभी निर्देशों की पालना की गई, इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश वगैर विधिक प्रक्रिया अपनाएं एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से जारी किये जाने से निरस्त योग्य है।

बहस के निरन्तर में आगे कहा कि अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक बहस के निरन्तर में आगे कहा कि अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 07.03.17 को प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 04 व 17(ग) का उल्लंघन बताते हुए निलम्बित किया गया, जबकि **शर्त संख्या–04** में स्पष्ट किया गया कि– " कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यानों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के समरूप किन्ही भी वस्तुओं का विक्रय या स्टॉक का धारण, राज्य सरकार या कलक्टर की अनुज्ञा के सिवाय नहीं करेगा। " इसी प्रकार **शर्त संख्या–17**(गं) अभिलेखों में झूठी प्रविष्टियां करके कोई खाद्यान आवश्यक वस्तुंए नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया। बहस में यह भी कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि. /आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2007, दिनांक 02.05.2018 मे भी निर्देशित किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्येश्य से जिले के भीतर पोर्टेबिलिटी का प्रावधान किया गया है ताकि अपने मूल निवास स्थान पर आवासरत नहीं रहने की स्थिति में भी लाभार्थी जिले की किसी भी उचित मूल्य दूकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सके। बहस के अन्त में कहा कि अपीलाधीन आदेश में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी जोधपुर द्वारा निलम्बित उचित मूल्य दूकान के Pos Transaction की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माह फरवरी, 2017 में अन्य वार्डो के राशन कार्डो पर 53.48 क्विंटल गेहूँ का अवैध वितरण किया जाना पाया जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, का विधि विरूद्ध बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के व्यक्तियों को वितरण किया गया अतः विभाग की ओर से की गई कार्यवाही को विधि सम्मतः बताते हुए अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। मूल अभिलेख का अध्ययन करने से अपीलार्थी के इन कथनों की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा दिनांक 22.02.2017 को राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण अखबार की खबर "**गरीबों**

लगातार....

Scanned with CamScanner

का गेहूं कर रहे हजम'' शीर्षक के आधार पर दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया तथा दिनांक 07.03.2017 को अपीलार्थी को जारी उचित मूल्य दूकान का प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4 व 17ग का उल्लंघन मानते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 03.03.17, 09.05.17 25,.07.17 को जबाब दिया जिसमें बतलाया गया कि " जिन उपभोक्ताओं को बिना आधार सिडींग के सामग्री दी गई है अतः उपभोक्ताओं को कहा गया है कि आप अपने राशन कार्ड को ऑन लाईन सिडींग आधार एवं भामाशाह से जोड़कर ही अगले महिने सामग्री लेने के लिए दुकान पर आवे। " इसके अलावा अन्य तारीख को दिये जबाब में गलती हो गई, भविष्य में गलती नहीं करेगा, कहा गया। प्रवर्तन अधिकारी के रिपोर्ट में बिना आधार एवं अन्य वार्ड के उपभोक्ताओं में 53.48 क्विंटल गेंहूँ का अवैध रूप वितरण किये जाने से अपीलाधीन आदेश जारी किया गया।

प्राधिकार पत्र में वर्णित शर्तो का अध्ययन करने से **शर्त संख्या–14** प्राधिकार उचित मूल्य दूकानदार, सरकार द्वारा समय समय पर प्रदान प्रदाय किये गये खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय सीधे ही कलक्टर द्वारा जारी विशेष अनुज्ञप्ति धारक व्यक्तियों को तथा केवल उन उपभोक्ताओं को करेगा, जिनके राशनकार्ड उसकी दूकान पर यूनिट रजिस्टर (प्ररूप–6) में दर्ज कर लिए गए हो। इसी प्रकार **शर्त संख्या–17ग**– अभिलेखों में झूठी प्रविष्टियां करके कोई खाद्यान आवश्यक वस्तुंए नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा, उल्लेख किया गया है। अतः प्राधिकार पत्र के शर्त संख्या–4 के बजाय शर्त सं0 14 एवं 17ग का उल्लंधन अपीलार्थी द्वारा किया जाना पाया। राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपने आदेश कमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2007, दिनांक 02.05.2018 मे दिये गये दिशा निर्देश पूर्व के प्रकरणों में लागू नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थीपक्ष का यह भी कथन कि राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के उपाबन्ध 8(ii) के अन्तर्गत अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक ही कोई प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है, इस कथन से हम सहमत है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा विभागीय स्तर पर समयावधि में जांच पूर्ण नहीं कर निर्देशों की पालना नहीं की गई, परन्तु जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा नियत अवधि में प्राधिकार पत्र 90 दिन के पश्चात् बहाल नहीं किये जाने पर अपीलार्थी को भी विधिक प्रकिया के तहत इस न्यायालय के समक्ष चाराजुई की जानी चाहिए, जो नहीं की गई तथा समय पश्चात् प्रत्यर्थीपक्ष ने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश जारी किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा बिना आधार एवं अन्य वार्ड के उपभोक्ताओं में 53.48 क्विंटल गेंहूँ का अवैध रूप वितरण किये जाने से प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 14 व 17ग का उल्लंधन हुआ है अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है,

लगातार....

Scanned with CamScanner

परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Scanned with CamScanner